न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/519

नन्दलाल आत्मज मोडू लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज मोडू लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 02 किता की 2.41 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा है । वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी वादी के हिस्से की आराजी को बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान करने करने पर आमादा हैं । वादी वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को उसके हिस्से की 1/2 का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी को प्राप्त उसके हिस्से की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर लगान कडता अलग–अलग कायम किया जावे । प्रतिवादी कम 1 को

इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन अथवा बेचान नहीं करे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से उसके कब्जे काश्त से नहीं रोके और उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जिसकी विधिवत तामील होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई राजीनाम पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फमराया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था । अपीलान्ट के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के तहत पेश किया गया था जिसमें रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के अवलोकन किये बिना ही दावा डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र भी पेश किये थे जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जबकि अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था तो सीपीसी की पालना करते हुए अपीलान्ट के दावे को भी समेकित करते हुए

निर्णय पारित करना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के सहखातेदारी की है जिसमें पक्षकार 1/2 – 1/2 हिस्से के सहखातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत रूप से जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में जो पत्रावली प्रेषित की गई है उसमें दावे की प्रति संलग्न नहीं है । पत्रावली में पेश किया गया जवाबदावा संलग्न किया गया है यही नहीं दावे की पत्रावली में धारा 212 के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र भी शामिल किये गये हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं ।

12. वादी के द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने दावे को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया था । पत्रावली पर प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया जवाबदावा जो दिनांक 10.03.2016 को पेश किया गया है शामिल है परन्तु दिनांक 10.03.2016 एवं उसके बाद की किसी भी आदेशिका में जवाब पेश किया जाना अंकित नहीं किया गया है । पत्रावली में कई आदेशिकाएं अग्रिम कार्यवाही करते हुए बदली गई हैं और अग्रिम कार्यवाही क्या है यह स्पष्ट नहीं किया गया है । दिनांक 15.05.2017 की आदेशिका के अनुसार दिनाक 08.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । दिनांक 08.06.2017 की एक आदेशिका हस्तलिखित और दूसरी टाईपशुदा है । हस्तलिखित आदेशिका पर हस्ताक्षर नन्दलाल के प्रतीत होते हैं और एक अंगूठा निशानी है परन्तु यह अंगूठा निशानी किसकी है यह अंकित नहीं किया गया है । पक्षकारों के द्वारा राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा